

प्रेषक,

आर.सी. श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक : लखनऊ : 23 दिसम्बर, 1991

नगर विकास अनुभाग-७

विषय : नेहरू रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय आश्रय सुधार योजना को भारत सरकार के पुनरीक्षित दिशा निर्देशों के अन्तर्गत नव विकसित औद्योगिक नगरों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख से कम आबादी वाले वाले नगरों में योजना को कार्यान्वित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के आदेश सं. 1050ए/9-7-21 एन.आर.वाई./91 दिनांक 11 जुलाई, 1991, जिसमें नेहरू रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय आश्रय सुधार योजना को प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जाने की विस्तृत रूपरेखा उपलब्ध कराई गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने के निर्देश हुआ है कि सम्प्रति यह योजना 1981 की जनसंख्या के आधार पर एक लाख से अधिक आबादी वाले स्थानीय निकायों में चलाई जा रही है। यह योजना नव विकसित औद्योगिक नगरों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यान्वित कराई जा सकती है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में पुनरीक्षित दिशा निर्देशों में दिये गये मानक से आवृत्त होने वाले नगरों में उक्त योजना को कार्यान्वित कराने हेतु हड्डको द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रोजेक्ट तैयार कराकर हड्डको तथा राज्य नागर विकास अभिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इन नगरों के पात्र व्यक्तियों का योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सके।

भवदीय,

आर.सी. श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

सं. : 2148ए/9-7-91-21 एन.आर.वाई/91 टी.सी.

- (1) समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- (2) प्रतिलिपि अपर आयुक्त (प्रशासन)/अपर निदेशक, "सूडा" समस्त मण्डल, उ.प्र.।
- (3) समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, उ.प्र.।
- (4) समस्त परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
- (5) क्षेत्रीय प्रमुख हड्को, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) मुख्य अधिशासी अधिकारी, राज्य नागर विकास अभिकरण, लखनऊ।

आशा से,

आर.सी. श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

भवदीय,

(नूर मोहम्मद)
विशेष सचिव